रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 2016/माघ 27, 1937

No. 417] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2016/ MAGHA 27, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2016

का.आ. 495(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 22-क के खंड (ख) के अनुसरण में, लोकहित में, निम्नलिखित सेवाओं को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जन उपयोग सेवाएं घोषित करती है, अर्थात् :-

"(क) शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों या

(ख) आवास और भू-संपदा सेवा ।"

[फा. सं. ए-60011/37/2004-प्रशासन III (एलएपी)-जेयूएस)]

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2016

S.O. 495(E).—In pursuance of clause (b) of section 22A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government, in the public interest, hereby declares the following services to be public utility services with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:

"(a) education or educational institutions; or

(b) housing and real estate service."

[F. No. A-60011/37/2004-Admn.III(LAP)-JUS]

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 29, सोमवार, शाके 1936—जनवरी 19, 2015 *Pausa 29, Monday, Saka 1936–January 19, 2015*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 29, 2014

एस.ओ. 236 :– विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 22क के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अध्याय VI–क के प्रयोजनार्थ लोकहित में, निम्नलिखित सेवाओं को इसके द्वारा, जन उपयोगी सेवाओं के रूप में घोषित करती है, अर्थात :–

(i) बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं;
(ii) आवासीय सेवाएं; और
(iii) लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस सेवाएं।

[संख्या एफ.8(1) लॉ–2/2014]
राज्यपाल के आदेश से,
दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW AND LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, December 29, 2014

S.O. 236.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 22A of The Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), the State Government , in public interest, hereby declares the following services as public utility services for the purpose of Chapter VI-A of the said Act, namely :-

(i) Banking and Financial Institution Services;
(ii) Housing Services; and
(iii) Liquified Prtroleum Gas Services.

[NO. F.8(1)LAW-2/2014]
By Order of the Governor,
दीपक माहेश्वरी,
Pr. Secretary to the Government.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D. L. 33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

430] नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2016/आषाढ़ 1, 1938

430] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2016/ASHADHA 1, 1938

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2016

सा.का.नि. 618(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 27 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य [व्यक्ति]यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, [अर्था]त् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन [और] शर्तें) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003, (जिसे [इस]के पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में,-

(i) उपनियम (3) में "चार सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार पाँच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (5) में "तीन हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

3 मूल नियम के नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की उम्र तक इनमें से जो पूर्वतर के लिए पद धारण करेंगे।"

[फा. सं. ए-60011/10/2012-प्रशा.-III(एलए)/एलएपी(न्या.)]

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

...6/2016

2540

3.7.16

मूल नियम भारत के राजपत्र, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 3(अ), तारीख 2 जनवरी, 2003 को प्रकाशित किए गए थे तथा पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 373(अ), तारीख 13 मई, 2008 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2016

G.S.R. 618(E).—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government in consultation with the Chief Justice of India, hereby makes the following rules further to amend the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Amendment Rules, 2016

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Permanent Lok Adalat (Other Terms & Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3,--

(i) In sub-rule (3), for the words "rupees four hundred", the words "one thousand and five hundred rupees" shall be substituted,

(ii) In sub-rule (5), for the words "rupees three thousand", the words "five thousand rupees" shall be substituted

3. In the principal rules, in rule 4, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The Chairman and other persons shall hold office for a term of five years or till the age of sixty five years, whichever is earlier"

[F. No. A-60011/10/2012-Admn-III (LA)/LAP (JUS)]

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 3(E), dated the 2nd January, 2003 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 373(E), dated the 13th May, 2008

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054